



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## आयोग भवन, हरिद्वार— 249404

पत्रांक :: 447 /03(21)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18 दिनांक :: 07 फरवरी, 2019

### साक्षात्कार –ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 01/03/डी0आर0/सेवा-2/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 में **असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम- विज्ञान)** के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार-कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में **दिनांक 19 फरवरी, 2019 (मंगलवार)** को निर्धारित है।

2-इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे- **(क) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form)** (प्रपत्र संख्या-02) **(ख) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (Attestation Form)** (प्रपत्र संख्या-03) **(ग) देशना-पत्रक (Index Card)** (प्रपत्र संख्या-04)।

3- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र व उक्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

01. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
02. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
03. स्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक-तालिकाएं।
04. परास्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक-तालिकाएं।
05. विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी अन्य प्रमाण-पत्र।
06. आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पी0-एच0डी0 उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।
07. आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संविदा प्रवक्ता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
08. अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
09. विज्ञापन के परिशिष्ट-05 में निर्धारित प्रारूप पर अनुभव प्रमाण-पत्र, जिसका दावा किया गया हो।
10. आरक्षण एवं स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम निर्धारित प्रारूप पर। **उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 25.08.2017 से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**

11. अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

12. यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में।

13. यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करें।

4- साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क **रु. 150.00 (आरक्षित वर्ग से रु. 60.00)** आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6- यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (**Examining Body**) ने नियमित प्रमाण-पत्र (**Certificate**) अथवा उपाधि (**Degree**) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (**Provisional Certificate**) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7- विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

**-Sd-**  
**(राजेन्द्र कुमार)**  
सचिव



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार- 249404

[www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)

पत्रांक :: 449/03(21)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18 दिनांक :: 07 फरवरी, 2019

## साक्षात्कार कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 01/03/डी0आर0/सेवा-2/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा विज्ञापित **असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम- विज्ञान)** के रिक्त 03 पदों (01 पद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित) एवं **असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एस-सी0 गृहविज्ञान** के रिक्त 02 पदों (01 पद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित) के सापेक्ष दिनांक 05 व 06 मई, 2018 को सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है :-

## साक्षात्कार तिथि : 19 फरवरी, 2019 (मंगलवार)

### 1. उपस्थिति समय :: प्रथम सत्र :: पूर्वाह्न 09:30 बजे

असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम- विज्ञान)	680005	680222	680193	680088	680043	680014
	680199	-	-	-	-	-
असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एस-सी0 गृहविज्ञान	710066	710022	710047	710104	710092	-

### 2. उपस्थिति समय :: द्वितीय सत्र :: अपराह्न 12:30 बजे

असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम- विज्ञान)	680249	680009	680137	680194	680038	680091
	680131	680121	-	-	-	-
असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एस-सी0 गृहविज्ञान	710046	710109	710052	710099	-	-

### नोट :

01. उपरोक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाईन साक्षात्कार-ज्ञाप जारी किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार-ज्ञाप के साथ विस्तृत आवेदन-पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) तथा देशना-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-04) डाउनलोड करें तथा उन्हें

पूर्ण रूप से भरते हुए अपने सभी प्रमाण-पत्रों और अंक-तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों (छायाप्रति) के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

02. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को समस्त शैक्षिक अर्हता/अधिमान्नी अर्हता/आरक्षण/अनुभव प्रमाण-पत्र मूल रूप में सत्यापन हेतु आयोग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

03. साक्षात्कार तिथि को समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति व मूल अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

04. अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार-ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

05. उक्त तिथि को साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का मूल अभिलेखों से सत्यापन, अनुक्रमांकवार प्रथम सत्र में पूर्वाह्न 09:30 बजे से तथा द्वितीय सत्र में अपराह्न 12:30 बजे से प्रारम्भ होगा।

06. असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम- विज्ञान) पद के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप संख्या: 426/03(21)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18 दिनांक 23 जनवरी, 2019 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एस-सी0 गृहविज्ञान पद के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप संख्या: 424/03(35)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के अनुक्रम में वांछित अभिलेख साक्षात्कार से पहले उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भवदीय  
-Sd-  
( राजेन्द्र कुमार )  
सचिव।



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## आयोग भवन, हरिद्वार— 249404

पत्रांक :: 448/03(35)/डी0आर0/डिग्री/सेवा-02/2017-18 दिनांक :: 07 फरवरी, 2019

### साक्षात्कार –ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 01/03/डी0आर0/सेवा-2/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 में **असिस्टेंट प्रोफेसर – बी0एस-सी0 गृहविज्ञान** के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार-कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में **दिनांक 19 फरवरी, 2019 (मंगलवार)** को निर्धारित है।

2-इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे- (क) विस्तृत आवेदन-पत्र (**Detailed Application Form**) (प्रपत्र संख्या-02) (ख) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (**Attestation Form**) (प्रपत्र संख्या-03) (ग) देशना-पत्रक (**Index Card**) (प्रपत्र संख्या-04)।

3- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र व उक्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

01. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
02. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
03. स्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक-तालिकाएं।
04. परास्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक-तालिकाएं।
05. विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी अन्य प्रमाण-पत्र।
06. आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पी0-एच0डी0 उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।
07. आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संविदा प्रवक्ता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
08. अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
09. विज्ञापन के परिशिष्ट-05 में निर्धारित प्रारूप पर अनुभव प्रमाण-पत्र, जिसका दावा किया गया हो।
10. आरक्षण एवं स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम निर्धारित प्रारूप पर। **उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 25.08.2017 से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**

11. अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

12. यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में।

13. यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करें।

4- साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क **रु. 150.00 (आरक्षित वर्ग से रु. 60.00)** आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6- यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (**Examining Body**) ने नियमित प्रमाण-पत्र (**Certificate**) अथवा उपाधि (**Degree**) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (**Provisional Certificate**) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7- विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

**-Sd-**  
**(राजेन्द्र कुमार)**  
सचिव